

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स (परिवहन एवं आयुध इकाई)
 चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
 पत्र संख्या:-लॉजि0-सवार पुलिस-10/2018 दिनांक:-अगस्त ,31 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस घुडसवार पुलिस सेवा नियमावली-2016 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्न उपनिरीक्षक, घुडसवार पुलिस को निरीक्षक घुडसवार पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या-डीजी-चार-110(419)/2001 दिनांक 30.08.2018 द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त इन्हें तात्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही निरीक्षक घुडसवार पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	पी0एन0ओ0	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	जनपद/ इकाई	परिक्षेत्र/अनुभाग	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	792412614	लक्ष्मेश्वर प्रसाद	श्री केहरी सिंह	अलीगढ़	अलीगढ़	2017
2	812014497	सुभाष चन्द्र शर्मा	श्री रम्मन लाल शर्मा	पुलिस अकादमी मुरादाबाद	-	2017

2— पदोन्नति पाये उपनिरीक्षक, घुडसवार पुलिस अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई के मुख्यालय पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली-2016 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये निरीक्षक घुडसवार पुलिस की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से आदेश पारित किये जायेंगे।

3— पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस से संलग्न पारूप—"क" में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या-13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.97 के खण्ड -2 में दी 03 परिस्थितियां यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग)यदि अपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस उपरोक्त के विरुद्ध विद्यमान नहीं हो।

4— यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उपयुक्त प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं तो उपरोक्त उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस को निरीक्षक घुडसवार पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान पायी जाती हैं तो ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5— यदि संबंधित उपनिरीक्षक घुड़वार पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में उनके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है सथा ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाये।

6— आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर लॉजिस्टिक्स इकाई के सरकुलर में अपलोड कर दिया गया है।

13/10/14
(डा० के० एस० प्रताप कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, डा० भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन, आगरा।
5. पुलिस महानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद—अलीगढ़।



प्रारूप-'क'

स्वघोषणा—पत्र

भैं,	(नाम/पदनाम)	व	पीएनओ)
पुत्र, थाना— नाम) —	निवासी— जनपद— नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि :-	वर्तमान में (जनपद/इकाई का	

"मेरे विरुद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की(दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग माठन्यायालय में विदाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2. उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे सूल पड़ पड़ पक्ष्यायत भारत द्वारा ने विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के असार्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3. यह घोषणा—पत्र मेरे द्वारा पूर्णरूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्णरूपेण पालन किया जायेगा।

उस्ताद्दर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की(दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग माठन्यायालय में विचाराधीन है, अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण —————
- (2) मेरे विरुद्ध उठोप्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई ————— में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:———— को आरोप—पढ़ दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध भुआ०सं— थारा— थाना— जनपद— में लम्बित है, जिसमें दिनांक:———— वो स्थानीय पुलिस अथवा जांच एजेन्सी— द्वारा अधिकारी—पत्र माठन्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में ————— उत्तर पर घोषित करता रहा है।

उस्ताद्दर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

समाप्ति

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुद्रण

नोट:-स्वघोषणा—पत्र में अंकित जो प्रस्तार अथवा उपग्रहण लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।